प्रेस विज्ञप्ति

05.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशाखापत्तनम उप आंचलिक कार्यालय ने अल्लादाबोइना सतीश और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 1.39 करोड़ रुपये मूल्य की चल/अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियां नौ आवासीय फ्लैट और प्लॉट के साथ-साथ अल्लादाबोइना सतीश, उनकी पत्नी और उनके सास-ससुर के नाम पर तीन सावधि जमा के रूप में हैं।

सीबीआई, एसीबी, विशाखापत्तनम द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित 13(1)(ई) के तहत अल्लादाबोइना सतीश (आईआरएसई:2001), तत्कालीन उप मुख्य अभियंता, डिजाइन, उत्तर सीमांत रेलवे, मालिगांव, गुवाहाटी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। उन पर स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर ज्ञात आय स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। सीबीआई द्वारा इस मामले में दायर आरोपपत्र के अनुसार, अल्लादाबोइना सतीश ने 01.04.2008 से 24.01.2016 की अवधि के दौरान लगभग 1.39 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी ज्ञात आय स्रोतों से 83.30% अधिक थी।

ईडी की जांच में पता चला कि अल्लादाबोइना सतीश ने धोखाधड़ी और बेईमानी से अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक अचल संपत्तियां अर्जित कीं। अपराध से प्राप्त धन (पीओसी) का इस्तेमाल सीधे तौर पर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया। अवैध स्रोतों से प्राप्त धन को छिपाने के लिए, उसने, उसकी पत्नी और उसके ससुर के बैंक खातों में भी बड़ी मात्रा में नकद जमा किया। उक्त पीओसी का इस्तेमाल बैंक हस्तांतरण के माध्यम से अचल संपत्तियां खरीदने के लिए भी किया गया। अचल संपत्तियां खरीदने के लिए बैंक हस्तांतरण के बदले में पीओसी के रूप में नकद राशि उसके परिचितों को भी दी गई। सतीश अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों के नाम पर संपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सका और न ही इन संपत्तियों के स्रोत को दर्शाने वाला कोई सबूत/दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत कर सका।

आगे की जांच जारी है।